रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112021-231212
CG-DL-E-17112021-231212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943
No. 653]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 802(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक (अनुसचिवीय कॉडर और आशुलिपिक कॅडर), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 का संशोधन करनें के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक (अनुसचिवीय काडर और आशुलिपिक काडर), समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक (अनुसचिवीय काडर और आशुलिपिक काडर और आशुलिपिक काडर), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), में नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:–**

"(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति सेवा से अंतिम दिन की दोपहर जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वह साठ वर्ष या उसे अधिक की आयु प्राप्त करता है, सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परंतु जिस व्यक्ति की जन्म तिथि महीने की पहली तारीख हो, वह अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करनें पर पूर्ववर्ती महीनें के अंतिम दिन की दोपहर की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु–सीमा से अधिक सेवा में विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में,

(क) शीर्षक "पदों की संख्या" के अधीन, सहायक उप–निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) के पद से संबंधित कम सं. (1) के सामनें,

स्तंभ 2 में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"374 (2021)

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।"

(ख) शीर्षक "पदों की संख्या" के अधीन, हैड कांस्टेबल (योधक अनुसचिवीय) के पद से संबंधित क्रम संख्या (2) के सामनें,

स्तंभ 2 में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"1106 (2021)

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।"

(ग) शीर्षक "पदों की संख्या" के अधीन, सहायक उप–निरीक्षक (आशुलिपिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या (3) के सामनें,

स्तंभ 2 में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"112 (2021)

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।"

[फा. सं. I–12022/03/2021–संगठन]

पी. वेनुकुट्टन नायर, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 619(अ) तारीख–04.07.2018 द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2021

G.S.R. 802(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant (Ministerial Cadre and Stenographer Cadre), Group 'C' posts Recruitment Rules, 2018 namely :-

1. Short title and commencement.—(I) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant (Ministerial Cadre and Stenographer Cadre), Group 'C' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant (Ministerial Cadre and Stenographer Cadre), Group 'C' posts Recruitment Rules, 2018 (hereinafter referred to & the said rules), for rule 9, the following shall be substituted namely: -

"(1) Every person appointed under these rules shall retire from the service on the afternoon of the last day of in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age limit of retirement on superannuation."

3. In the said rules, in the SCHEDULE,

(a) against serial number (1), relating to the post of Assistant Sub-Inspector (Combatant Ministerial) under the heading "Number of posts",

in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely: -

"374* (2021)

*Subject to variation dependent on workload."

(b) against serial number (2), relating to the post of Head Constable (Combatant Ministerial) under the heading "Number of posts",

in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely: -

"1106* (2021)

*Subject to variation dependent on work load."

(c) against serial number (3), relating to the post of Assistant Sub-Inspector (Stenographer) under the heading "Number of posts",

in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely: -

"112* (2021)

*Subject to variation dependent on work load."

[F. No. I-12022/03/2021-Org.]

P. VENUKUTTAN NAIR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. No. 619(E) dated 04-07-2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA